बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800001

(पंजीयन सं0-633/2003)

अध्यक्ष,
सुरेश कुमार शर्मा
मो0 9473191199, 9431479774

महासचिव,
सुशील कुमार
मो0 9431091417

पत्रांक:- 02 ....   दिनांक:- 5/01/12

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- विभागीय प्रोन्नति में चारित्री/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण संबंध में।

प्रसंगः- सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र 929 दिनांक 30.03.2011

महाशय,

उपरोक्त वर्णित पत्र का स्मरण किया जाय। उक्त पत्र के कंडिका-7 में वर्णित है कि 7600/- रूपये एवं उससे उपर के ग्रेड वेतनों में प्रोन्नति हेतु पिछले 5 वर्षो में से 36 माह की अभ्युक्ति कम से कम बहुत अच्छा होना आवश्यक होगा। यह पत्र मार्च, 2011 में निर्गत है यानि इसका प्रभाव वर्ष 2011-12 से होना चाहिये परन्तु ज्ञात हुआ है कि पूर्व के वर्षो के गोपनीय अभ्युक्ति में भी बहुत अच्छा होना अनिवार्य मानकर प्रोन्नति देने पर विचार किया जा रहा है जो नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। पूर्व में कोई भी नियंत्री पदाधिकारी यह मानकर अच्छा वर्गीकरण किये हैं कि संबंधित पदाधिकारी का प्रोन्नति हो सके।

उपरोक्त परिस्थिति में संघ यह चाहता है कि उक्त आदेश में संशोधन की जाय ताकि पूर्ववर्त्ती समय में लिखित अच्छा वर्गीकरण वाले पदाधिकारी को प्रोन्नति हो सके।

इसी कंडिका-7 में वर्णित वर्गीकरण की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये कहना है कि अगर किसी पदाधिकारी का

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800001

(पंजीयन सं0–633/2003)

अध्यक्ष,
सुरेश कुमार शर्मा
मो0 9473191199, 9431479774

महासचिव,
सुशील कुमार
मो0 9431091417

पत्रांकः–..........................

दिनांकः–......................

विगत 5 वर्षों में कम से कम 36 माह का अभ्युक्ति बहुत अच्छा नहीं हो पाता है या यह मान लिया जाय कि अच्छा हो पाता है तो इस कंडिका के अनुसार उस पदाधिकारी का प्रोन्नति नहीं हो पायेगा यानि कि अभ्युक्ति अच्छा होना भी प्रोन्नति में बाधक होगा।

उपरोक्त परिस्थिति में संघ यह चाहता है कि इस कंडिका में भी आवश्यक सुधार की जाय यथा मात्र दो ही वर्गीकरण रखा जाय **'प्रोन्नति योग्य'** एवं **'प्रोन्नति के अयोग्य'** या अन्य कोई जैसा विभाग उचित समझे।

विश्वासभाजन

सुशील 5/1/12

(सुशील कुमार)
महासचिव